न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 104/2025

श्री रामधन भारी निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा पोस्ट बगडवा तहसील पीपलू जिला टोंक

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक 16.12.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

श्रीमान वर्तमान सरपंच शिमला चोधरी के शपथ ग्रहण से आज दिनांक 30 अगस्त 2025 तक सम्पूर्ण ग्राम में सड़क निर्माण सम्बंधी सूचना उपलब्ध करवावे

(A) सड़क निर्माण में निविदा किस किस ने भरी व टेंडर किसको आवंटित किया।

(B) प्रत्येक सड़क की निविदा में सरकारी लागत कितनी थी।

(C) प्रत्येक सड़क की निविदा में टेंडर आवंटित व्यक्ति / फर्म व अन्य व्यक्ति / फर्म ने टेंडर में लागत कितनी भरी ?

(D) किस व्यक्ति के मकान से किस व्यक्ति/रोड तक सड़क का निर्माण हुआ 2 सडक के साथ नाली बनाई गई है तो उसका सम्पूर्ण विवरण बिन्दु संख्या । के व उसके उपबिन्दु अनुसार उपलब्ध करवाये अगर अभी तक नाली का निर्माण नहीं हुआ है तो उसका कारण भी प्रस्तुत करे एव नाली हेतु आवंटित राशि किसके पास व कितनी।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 2167 दिनांक 12.11.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 1080 दिनांक 17.11.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक से होने से उनके पत्र क्रमांक 1058 दिनांक 10.11.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र क्रमांक 1059 दिनांक 10.11.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

763

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला [illegible]
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक